प्रेषक,

कमलेश कुमार

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी , 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिटठू पुत्र श्री धीर सिंह, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-555/प्रो0अनु0(2)-283/2024(बैठक दिनांक 31.12.2024),दिनांक 03.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिटठू पुत्र श्री धीर सिंह, लुकमानपुर बछेडा, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासी है। दिनांक 05.08.2003 को रू0 05 लाख की फिरौती के कारण बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 08 वर्षीय सतनाम सिंह नामक लड़के का अपहरण कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-790/2003 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 368 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 पीलीभीत के आदेश दिनांक 31.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.08.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 19.12.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष 10 माह, 03 दिन तथा 24 वर्ष 04 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 19.12.2024 को बंदी की आयु 44 वर्ष 04 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना है। (3) बंदी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) बंदी पुन: अपराध कर सकता है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 05.08.2003 को रू0 05 लाख की फिरौती के कारण बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 08 वर्षीय सतनाम सिंह नामक लड़के का अपहरण कर लिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिट्ठू पुत्र धीर सिंह को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिटठू (बन्दी सं0-41997) पुत्र श्री धीर सिंह, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-17/2026/33(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in